

मध्य प्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय

क० 616 / आर-646/14/ब-1/चार
प्रति,

भोपाल, दिनांक 09/05/2014

अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
मध्य प्रदेश शासन,
आवास एवं पर्यावरण/जल संसाधन/लोक निर्माण,
नर्मदाघाटी विकास/लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी,
ग्रामीण विकास विभाग/वन विभाग,
मंत्रालय, भोपाल।

विषय: निर्माण विभाग एवं वन विभाग के देयकों की आहरण व्यवस्था के संबंध में।

संदर्भ: इस विभाग का पत्र क्रमांक 2336/चार/ब-1/99, दिनांक 19.11.99, एवं
क० 263/आर 190/चार/ब-1/07, दिनांक 11.3.2007 एवं पत्र क०
285/आर 327/09/ब-1/चार, दिनांक 29.3.2010

उपरोक्त संदर्भित पत्रों के अनुक्रम में शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि निम्नांकित उद्देश्य शीर्षों के अन्तर्गत आवंटित बजट को निर्माण/वन विभाग की आहरण सुविधा (WDDF/FDDF) में हस्तांतरित नहीं किया जावेगा :-
11 -वेतन, भत्ते, # 12-मजदूरी, # 19-कार्यभारित/आकस्मिक कर्मचारियों का वेतन, # 14-पारितोषिक, पुरस्कार, सम्मान, # 21-यात्रा -भत्ता, # 22-कार्यालय व्यय, # 24-परीक्षा एवं प्रशिक्षण, # 26-सेमीनार, # 31-व्यवसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां, # 42-अनुदान।

उक्त उद्देश्य शीर्षों से संबंधित देयकों का आहरण कोषालय के माध्यम से ही किया जावेगा।

ये आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होंगे।

म०प्र० के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(श्रीमन् शुक्ला)

संचालक बजट

मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

निरन्तर.....

//2//

617
पृ०क० /आर-646/14/ब-1/चार
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 09/05/2014

- 1- महालेखाकार, म०प्र० ग्वालियर ।
 - 2- संचालक म०प्र० वित्तीय प्रबंध सूचना प्रणाली, वित्त विभाग ।
 - 3- आयुक्त, कोष एवं लेखा, म०प्र० पर्यावास भवन, भोपाल।
 - 4- समस्त संभागीय आयुक्त, म०प्र० ।
 - 5- मुख्य अभियंता, लोक निर्माण/जल संसाधन/लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी/ग्रामीण विकास/नर्मदाघाटी विकास/अधीक्षण यंत्री, राजधानी परियोजना, म०प्र० ।
 - 6- समस्त कलेक्टर्स, म०प्र० ।
 - 7- समस्त कोषालय अधिकारी, म०प्र० ।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।



अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग